झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 455/2019

चमेली देवी उर्फ चंपा देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य; मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के माध्यम से।
2. उपायुक्त, देवघर।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर।
4. अंचल अधिकारी, देवघर।
5. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर
6. हृदय यादव।

..... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री मिथिलेश सिंह, जी.ए.-IV

3/दिनांक: 26 जून, 2020

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। उन्हें किसी तरह की ऑडियो और विजुअल कनेक्टिविटी की कोई शिकायत नहीं थी।

यह तत्काल सिविल विविध याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 827/2019 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल करने के लिए दायर की गई है, जिसे 03.07.2019 को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था।

उत्तरदाताओं के पक्ष की पैरवी उनकी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश सिंह, जीए.IV ने किया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि 03.07.2019 को गैर-अभियोजन के कारण रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 827/2019 को खारिज कर दिया गया है।

श्री मिथिलेश सिंह, जीए-IV ने उत्तरदाताओं की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई है बल्कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से निवेदन किया है कि रिट याचिका को उसकी मूल फ़ाइल में बहाल किया जाए ताकि मामले की सुनवाई हो सके और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

यह न्यायालय, दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और उनकी ओर से दी गई दलीलों और याचिका में दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 827/2019 को मूल फ़ाइल में बहाल करना उचित और युक्तिसंगत समझता है।

तदनुसार, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 827/2019 को मूल फ़ाइल में बहाल किया जाता है।

इस प्रकार, इस तत्काल सिविल विविध याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

साकेत/-